यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन/फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19/78/2018 **दिनांक :** 17.07.2018

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

देना बैंक की परिस्थितियाँ और हमारा दायित्व

जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि आरबीआई द्वारा देना बैंक पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं जैसे कि बैंक कोई नया उधार अथवा किसी ऋण को मंजूरी नहीं दे सकता है और बैंक में नई भर्तियों और नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई है। इस विषय में एआईबीईए–एआईबीओए ने संयुक्त रूप से विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया था जिसके विषय में हमारे परिपत्र संख्या 2016–19/74/2018 दिनांक 11.07.2018 के माध्यम से अवगत करा दिया गया था। देना बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ हुई बैठक के विषय में एआईबीईए ने अपना परिपत्र पत्र संख्या 28/84/2018/32 दिनांक 16.07.2018 जारी किया है जिसका अनूदित सार आप सभी की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

हमारी सभी इकाईओं को निर्देशित किया जाता है कि देना बैंक के आन्दोलन में देना बैंक के साथियों को पूर्ण सहयोग और समर्थन प्रदान करें।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **देना बैंक को अलग न करें**
- **देना बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठक**

हमने अपनी इकाईओं को पहले ही सूचित कर दिया है कि हमने बैंक में और भर्तियों और नियुक्तियों को रोकने के अलावा सभी उधार और ऋणों की मंजूरी रोकने के लिए देना बैंक को आरबीआई के हालिया निर्देश का मुद्दा उठाया है।

आज हमने मुम्बई में बैंक के प्रधान कार्यालय में देना बैंक के शीर्ष प्रबंधन से मुलाकात की। बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री रमेश सिंह और डा0 आर के यदुवंशी हमारी बैठक के दौरान उपस्थित थे। (बैंक में

जारी पृष्ठ 2

प्रबंध निदेशक का पद रिक्त है)। एआईबीईए की ओर से, साथी राजेन नागर, अध्यक्ष, साथी नन्दू चवण, उपाध्यक्ष, साथी सी एच वेंकटचलम्, महामंत्री तथा साथी ललिता जोशी, संयुक्त सचिव ने चर्चा में भाग लिया। हमारी बैठक के दौरान, हमारी देना बैंक इकाई के नेता नामतः साथी कमल भट्टाचार्जी, चेयरमैन, साथी पी वी पाटिल, अध्यक्ष, तथा साथी एस पी शर्मा, महामंत्री तथा साथी के.एस. नायर, महामंत्री, एआईडीबीओयू भी उपस्थित थे।

हमने बताया कि एआईबीईए तथा एआईबीओए से, हम देना बैंक को ऐसे प्रतिकूल निर्देश भेजने के आरबीआई के कदम से बहुत अप्रसन्न हैं क्योंकि लगभग सभी बैंक एनपीए, पूंजी अपर्याप्तता और शुद्ध घाटे की समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बैंक द्वारा उधार देना बंद करना बैंक को देर–सवेर अपंग कर देगा और इसलिए आरबीआई के निर्देश को वापस लिया जाना चाहिए। हमने यह भी बताया कि इस तरह के निर्देश का यह अर्थ भी है कि बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भी नहीं दिए जा सकते हैं। हमने प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित बड़े पैमाने पर शाखा बन्दी के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि इस तरह के प्रयास केवल न्यूनतम होने चाहिए जहाँ पर कि ये अत्याधिक आवश्यक हों और इस तरह के निर्णय लेते समय यूनियनों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। हमने यह मांग भी की कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियों सहित सामान्य भर्तियों और नियुक्तियों को जारी रखा जाना चाहिए।

जहाँ तक कि बैंक को वर्तमान कठिन परिस्थितियों से निकालने की आवश्यकता है हम अपना समर्थन एवं सहयोग प्रदान करेंगे और हमने उनसे आरबीआई तथा सरकार के साथ मामले को उठाने का आग्रह किया और कहा कि एआईबीईए तथा एआईबीओए भी देना बैंक पर आरबीआई के निषेधात्मक निर्देश को हटाने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ मुद्दे को उठायेंगे।

अभिवादन सहित,

आपका साथी
ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री